

23/17 वा.स.प्र.घ

न्यायालय वल्लभ 2017/000821

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीतुलवीर सिंह चौहान एड., श्रीगिरीश पारीक एड	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.02.2018	<p>प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01, 02 की ओर से श्री गिरीश पारीक एडवोकेट ने उपस्थिति दी, उनका वकालतनामा अपील में पूर्व में सलंगन हैं। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।</p> <p>अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 05.06.2017 को पेशी हेतु नियत थी, किन्तु प्रार्थी के अभिभाषक सिविल न्यायालय में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकें, एवम् प्रार्थी को उनके अभिभाषक के द्वारा कहा गया था कि आपको हर तारीख पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है जिससे प्रार्थी भी उपस्थित नहीं हो सकें। इस कारण न्यायालय ने अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी। उक्त त्रुटि अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट एवं प्रार्थी/अपीलांट द्वारा जानबूझ कर नहीं की हैं। उक्त त्रुटि सदभाविक हुई, जो क्षम्य योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया गया। न्याय हित में आदेश दिनांक 05.06.2017 को निरस्त किया जाकर, प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाकर मेरिट पर निर्णय पारित किया जाना न्यायसंगत हैं। अतः न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाकर, न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 05.06.2017 को निरस्त किया जावे एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।</p> <p>अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा अपील, अपीलांट एवं उनके अभिभाषक द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण विधि सम्मत खारिज की हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाजदायरी खारिज किया जावे।</p> <p>अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार किया जाता हैं तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 05.06.2017 को निरस्त किया जाता हैं एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	